

अंचल कार्यालय, महागामा

केश का प्रकार :- अवैध / संदेहास्पद जमाबंदी

अभिलेख संख्या :- 158/16-17

अपर समाहर्ता गोड्डा के पत्रांक 615/ रा0 दिनांक 17.05.2016 के आधार पर किया गया है जिसमें उन्होंने श्री मति राजबाला बर्मा मुख्य सचिव झारखंड सरकार द्वारा संदेहास्पद जमाबंदी की अभियान चलाकर जाँच कर समयवद्ध प्रभाव कारी कदम उठाते हुए अवैध जमाबंदी रद्द कर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेश प्राप्त है। अतः पत्र कि प्रति सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्गत करते हुए पत्र में वर्णित विन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन मांग की गई। उक्त पत्र के अनुपालन में हल्का कर्मचारी श्री गणेश डु. दास वो अंचल निरीक्षक श्री रावेन्द्र दास का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि गौजा बुद्धा थाना नं0 692 गैरमजरूआ खाता नं0 84/37 दाग नं0 32 रकवा 08-03-17 किस्म पत्ती काल श्री डा. सु. रविश पिता चक्र रविश साकिन के नाम से पंजी 2 में नया जमाबंदी कायम है। जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः श्री डा. सु. रविश को दिनांक 13/9/16 समय पुर्वाहन् में उक्त भूमि प्राप्त करने से संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति सत्यापन हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष समर्पित करने का नोटिश निर्गत करें।

31/7/2016

अंचल अधिकारी,
महागामा।

31/7/2016

अभिलेख संख्यापित।

युग नोटिस निर्गत करें

31/7/2016
अंचल अधिकारी
महागामा

03.01.2021

अभिलेख उपस्थापित

राजस्व अपरीक्षण - सह-प्रभाषी मंचल निरीक्षण महाभाग ले प्रसंगत श्रमि म्म. कोटिक प्रतिवेदन के साथ अभिलेखीय प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसका अवलोकन किया प्रतिवेदनानुसार अवेद्य संदेशानुद पंजी-II क्षेत्र को श्रमि सहम पदाधिकारी ले प्राप्त है वर्तमान में उक्त श्रमि इंडीपेंडेंट एलएल क्षेत्र के अधीक्षण क्षेत्र के मांतर्गत है

अतः उपरोक्त के आलोक में अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित .


 मं. म्म
 महाभाग

अभिलेख उपस्थापित


 मंचल अधीक्षक
 महाभाग